[2022] 2 एस. सी. आर. 864

राजेश गुप्ता

बनाम

जांच के केंद्रीय ढांचे के माध्यम से राज्य

(2014 की आपराधिक अपील No.1769)

29 मार्च, 2022

[न्यायमूर्तिगण विनीत सरन और जे**.** के**.** माहेश्वरी**]**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:एस. 7-एस के तहत एक अपराध के लिए।7, अपराध साबित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग एक अनिवार्य शर्त है-केवल मुद्रा नोटों की वसूली एस के तहत अपराध नहीं हो सकती है।7 जब तक यह उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता है कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है-अवैध संतुष्टि की स्वीकृति का प्रमाण केवल तभी हो सकता है जब मांग का प्रमाण हो-तत्काल मामले में शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अलावा कोई पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं जो ऐसी मांग की ओर इशारा करते हैं, जिसकी एकमात्र गवाही पर स्वतंत्र गवाह के साथ पुष्टि किए बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह इच्छुक गवाह है।

सी.

डी.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:एस. 20-अनुमान-जब लागू हो-एस के तहत अनुमान।20 यह तभी निकाला जा सकता है जब मांग साबित हो जाए और धन स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए, इस तथ्य को जानते हुए कि उक्त धन रिश्वत के रूप में दिया गया है-अवैध संतुष्टि की मांग के प्रमाण के अभाव में और मुद्रा नोटों का केवल कब्जा या वसूली इस तरह के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है-एस के तहत अनुमान।20 अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति उचित संदेह से परे साबित होने के बाद ही निकाली जा सकती है-व्यक्ति या मेज के दराज से वसूली को साबित करने या प्रमाणित मांग को आगे बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री के साथ आरोपी द्वारा मुद्रा नोटों की स्वीकृति के अभाव में, अपराध साबित नहीं किया जा सकता है-हाथ में मामले में, मुद्रा नोट आगंतुकों की ओर डाक पैड के नीचे की मेज पर पाए गए थे-यह केवल आरोप लगाया जाता है कि उक्त मुद्रा नोट एक नोट-शीट में लिपटे हुए थे जिस पर अपीलार्थी की उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकृति के रूप में माना जाता है-केवल वह नोट शीट, जिसमें पैसा लपेटा गया था, सोडियम कार्बोनेट समाधान में डुबोने पर गुलाबी हो गया था, जिसके निशान थे।

अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त, विशेष रूप से, जब फेनॉल्फथेलिन पाउडर से भरे मुद्रा नोट मेज पर आगंतुक पक्ष की ओर पाए गए थे और उनकी मेज के व्यक्ति या

दराज से बरामद नहीं किए गए थे और जिस घोल में अपीलार्थी के हाथ डुबोए गए थे, वह गुलाबी नहीं हुआ था-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह लाया गया साक्ष्य अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की स्वीकृति को साबित करने के लिए ठोस और पर्याप्त नहीं है-निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, एस के तहत अनुमान लगाते हुए।20 वे कानून में पूरी तरह से विकृत हैं क्योंकि मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसलिए संभावनाओं की प्रधानता का सिद्धांत टिकाऊ नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट-एविडेंटरी वैल्यू ऑफ-डिस्कस्ड।

राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह **1985 (**पूरक**)** एस**.** सी**.** सी**. 611:[1985]** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 399;** पन्ना दामोदर राठी बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1979) 4 एस. सी. सी. 526; अय्यासामी बनाम तमिलनाडु राज्य (1992) 1 एस. सी. सी. 304; मीना (श्रीमती) डब्ल्यू/ओ.

बलवंत हेमके बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2000) 5** एस**.** सी**.** सी**. 21:[2000] 3** एस**.** सी**.** आर**. 12;** बी**.** जयराज बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश (2014) 13 एस. सी. सी. 55:[2014] 4 एससीआर 554; सी. एम. गिरीश बाबू बनाम सी. बी. आई (2009) 3 एस. सी. सी. 779:[2009] 2 एससीआर 1021-पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[1985] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 399** पर निर्भर

पैरा **12**

(1979) 4 एस**.** सी**.** सी**. 526**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **16**

एफ.

(1992) 1 एससीसी **304**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **16**

[2000] 3 एससीआर **12**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **19**

[2014] 4 एससीआर **554**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **20**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2014 की आपराधिक अपील सं. 1769।

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 25.03.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2009 का ए. No.89।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, मेहूल एम. गुप्ता, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री सामतेन डोमा, श्रीरंग वर्मा, सुश्री प्रज्ञा बघेल, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, मोहम्मद।अखी, सुघोश सुब्रमण्यम, अमित शर्मा, राघव शर्मा, सुश्री पूर्णिमा सिंह, मानवेंद्र भाटी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की आपराधिक अपील संख्या 89 में पारित फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है, जो विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय जिला-02, दिल्ली द्वारा 2001 की सी. सी. संख्या 195 में पारित फैसले की पुष्टि करता है, जिसमें अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 7 और 13 (2) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है (संक्षिप्त में "पी. सी. अधिनियम") और सजा का आदेश 27.1.2009 जिसके तहत पी. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए, अपीलार्थी को 2 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 15, 000/- और चूक में, 30 दिनों के लिए और साधारण कारावास और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत अपराध के लिए, ढाई साल के लिए सश्रम कारावास और रु। 15, 000/-, चूक में, 30 दिनों के लिए साधारण कारावास।दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2. अपीलार्थी पी. सी. अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी है। अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार, अपीलार्थी , जो संबंधित समय पर आयकर, सर्कल 20 (1) के सहायक आयुक्त थे, ने शिकायतकर्ता पीडब्लू-3 मधु बाला से उसके मामले की जांच के संबंध में रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार कर लिया, जो अपीलार्थी के पास लंबित था।

3. विचारण न्यायालय ने 24.1.2009 के फैसले के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि 7.3.2000 पर, अपीलार्थी ने लोक सेवक (सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 20 (1)) के

रूप में काम करते हुए, शिकायतकर्ता पीडब्लू 3-मधु बाला से रिश्वत की मांग की और उसकी मांग के अनुसरण में, रुपये की रिश्वत/अवैध संतुष्टि स्वीकार की। 15, 000/- उनसे उनके कार्यालय (केबिन/कक्ष) में 9.3.2000 पर।इस प्रकार भ्रष्ट और अवैध तरीकों से, उन्होंने एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया। अपीलार्थी को धारा ए के तहत आरोप के लिए दोषी पाया गया था 7 & 13(2) पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) सहपठित । उच्च न्यायालय पी. डब्ल्यू. 3-मधु बाला की गवाही पर भरोसा करता है, जो बातचीत एक्स. बी. की पहचान करने में सक्षम था। प्रतिलिपि से पी2 (कैसेट) हालांकि अश्रव्य पाया गया और बिना छेड़छाड़ के सबूत के, निष्कर्ष निकाला कि मांग साबित हो गई थी।स्वीकृति के बिंदु पर, पीडब्लू 3 मधु बाला के संस्करण पर भरोसा करते हुए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे रु। 15, 000/- एक डाक-पैड के नीचे मेज के आगंतुक पक्ष की ओर एक नोट शीट में और सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट के संदर्भ में, अपीलार्थी द्वारा मांगी गई रिश्वत की स्वीकृति साबित हुई।इसके अलावा, पी. सी. अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाते हुए, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और इस तरह दी गई सजा की पुष्टि की गई।उक्त निर्णयों से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

4. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी को प्रत्यर्थी की ओर से विस्तार से पेश होते हुए सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन विद्वान है।5. पी. सी. अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामले में, जो अनिवार्य रूप से साबित करने की आवश्यकता होती है, वह है अभियुक्त द्वारा धन की मांग या अवैध संतुष्टि, साथ ही आरोपी से उद्देश्य के साथ उसे स्वीकार करना और वसूल करना।वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता से अपीलार्थी की मांग कथित तौर पर चार मौकों पर की गई है। दो बार 07.03.2000 पर और फिर दो बार 09.03.2000 पर।शिकायतकर्ता के अनुसार, 07.03.2000 पर पहले अवसर पर, अपीलार्थी द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से मांग की गई थी; श्री राजीव जैन, जिनके अनुसार, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में मामले के निपटारे के लिए Rs.50,000/- की राशि की मांग की थी।पुनः उक्त तिथि पर ही, अर्थात 07.03.2000, जब वह अपने कर्मचारी (श्री कृष्ण कुमार) के साथ अपीलार्थी के कार्यालय गई, तो शुरू में उनसे की गई मांग <ID2,000/- की थी, जिसे घटाकर <ID3,000/- कर दिया गया है।

6. शिकायतकर्ता ने तब अपने कुछ उच्च-स्तरीय संबंध के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) से संपर्क किया (जिसका नाम उसने खुलासा नहीं किया), और फिर आई. डी. 1 पर वह सी. बी. आई. के कार्यालय गई और संबंधित अधिकारी (श्री अवस्थी) से मुलाकात की, जिन्होंने उससे बात करने के बाद, उसे अपने जांच मामले को बंद करने के मामले के संबंध में अपीलार्थी से फोन पर बात करने की सलाह दी, जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा पैसे की कथित मांग की गई थी।शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को फोन किया और कहा जाता है कि शिकायतकर्ता और अपीलार्थी अभियुक्त के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत दर्ज की गई है, जिसमें माना जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को पैसे की पेशकश की जा रही थी।

जब अपीलार्थी ने कहा कि वह केवल <आई. डी. 1,000/- देगी जिस पर अपीलार्थी की ओर से कोई पावती या स्वीकृति नहीं थी, सिवाय इसके कि अपीलार्थी शाम को लगभग 04.00 पर अपने कार्यालय में शिकायतकर्ता से मिलने के लिए सहमत हो गया। उक्त बातचीत को न्यायालय के समक्ष Exb.P-2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

7. दूसरी घटना के बारे में कहा जाता है कि शिकायतकर्ता दोपहर लगभग 3 बजे दो स्वतंत्र गवाहों के साथ अपीलार्थी के कार्यालय गया था, जिसमें कांस्टेबल बबीता कपूर, जिनसे पूछताछ नहीं की गई थी और चौहान (छाया गवाह), जो दोनों स्वतंत्र सरकारी अधिकारी थे, को सी. बी. आई. के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ जाने के लिए कहा गया था ताकि वे अपीलार्थी को सौंपी जा रही कथित अवैध मांग और संतुष्टि के गवाह बन सकें।हालाँकि, जब कथित रूप से धन की मांग और लेन-देन हुआ था, तब उक्त दो स्वतंत्र छाया गवाह अपीलार्थी के कक्ष के अंदर नहीं गए।अभियोजन पक्ष का मामला है कि शिकायतकर्ता अपीलार्थी के कक्ष के अंदर अकेला गया था, जो एक साझा कमरा था जिसमें एक विभाजन था और अन्य अधिकारी अर्थात्; PW6-N.C. स्वैन, डीसीआईटी और पीडब्लू10-टी. किपगेन, एसीआईटी भी विभाजित कमरे के दूसरी तरफ मौजूद थे।शिकायतकर्ता को क्रेडिट-कार्ड टाइप ट्रांसमीटर और छाया गवाह के साथ एक माइक्रो-कैसेट रिकॉर्डर दिया गया था। चौहान को अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट-कार्ड ट्रांसमीटर को कान का टुकड़ा दिया गया था।उक्त वार्तालापों को एक्सबी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पी-1 और पी-3।मुद्रा नोट, जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को सौंपा जाना था, में फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगा हुआ था।कहा जाता है कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के कार्यालय की मेज के आगंतुक पक्ष पर कुल Rs.15,000/- के मुद्रा नोट रखे थे, जिन्हें कागज के एक टुकड़े में लपेटा गया था, जिसे फिर डाक पैड से ढक दिया गया था।इस बात का कोई आरोप नहीं है कि पैसे को व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी को सौंप दिया गया था या उसकी मेज के दराज के अंदर रखा गया था।

8. कहा जाता है कि शिकायतकर्ता तब अपीलार्थी के कार्यालय से बाहर चला गया और उसके बाद सी. बी. आई. के अधिकारी अंदर आए और जाल की कार्यवाही की।उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी और उसके कार्यालय की मेज के दराज और उसके ब्रीफकेस की जांच की, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला, जो बाद में डाक पैड के नीचे मेज के आगंतुक पक्ष से बरामद किया गया था, जो केवल शिकायतकर्ता के संकेत पर था जब उसे फिर से कक्ष में बुलाया गया था। अपीलार्थी ए का फेनॉल्फथेलिन परीक्षण अपीलार्थी को सोडियम कार्बोनेट घोल में अपने हाथ डुबोने के लिए कहकर आयोजित किया गया था, लेकिन घोल का रंग गुलाबी नहीं बदला। हालांकि, अभी भी जो पानी एकत्र किया गया था और सी. एफ. एस. एल. जांच के लिए भेजा गया था, और इस तरह की जांच रिपोर्ट में, फेनॉल्फथेलिन के निशान पाए गए हैं।जब शिकायतकर्ता अपीलार्थी के कक्ष में थी, तो उसके द्वारा और क्रेडिट कार्ड ट्रांसमीटर के माध्यम से भी बातचीत रिकॉर्ड की जानी थी, लेकिन वह रिकॉर्डर का बटन दबाने के लिए चली गई, इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका।अन्य दो अधिकारी; पीडब्लू 6-श्री एन. सी. स्वैन, डिप्टी कमिश्नर। सी. आई. टी. और पी. डब्ल्यू. 10-किपगेन, ए. सी. आई. टी., जो एक

विभाजन के साथ एक ही कमरे में थे, ने अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति के आरोप का समर्थन नहीं किया।इन तथ्यों में कहा गया है कि अपीलार्थी को मामले में आरोपी बनाया गया और दोषी ठहराया गया।

9. जहाँ तक पूर्व-जाल स्तर पर कथित मांग का संबंध है, कहा जाता है कि यह पहली बार 07.03.2000 पर चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री राजीव जैन के माध्यम से किया गया था और दूसरी बार जब शिकायतकर्ता उसी तारीख को अपीलार्थी के कार्यालय गई थी, यानी 7.3.2000 अपने कर्मचारी कृष्ण कुमार के साथ।उक्त दो मांगों को 7.3.2000 पर साबित करने के लिए, न तो राजीव जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट और न ही कृष्ण कुमार (शिकायतकर्ता के कर्मचारी) से न्यायालय में पूछताछ की गई है।यह देखा जाना चाहिए कि इससे पहले कि अभियुक्त को मांग और स्वीकृति के मूलभूत तथ्य की व्याख्या करने के लिए बुलाया जाए, इसे अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।शिकायतकर्ता की गवाही, जो जाल की सफलता के साथ एक इच्छुक या पक्षपातपूर्ण गवाह है, का परीक्षण किसी अन्य इच्छुक गवाह की तरह ही किया जाना चाहिए।पीडब्लू3 मधु बलाल की गवाही के अलावा, उक्त मांग को साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है।इसलिए, हमारे विचार में, 7.3.2000 पर पूर्व-जाल की मांग अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई है, जो मामले का एक मूलभूत तथ्य है।हमारे विचार में, ट्रैप से पहले की मांग को साबित करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष बिना किसी सबूत के रिकॉर्ड पर है और अनियमित मूल्यांकन पर आधारित है, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा यांत्रिक रूप से पुष्टि की जाती है।

10. ट्रैप से पहले के चरण में, तीसरी मांग, जैसा कि आरोप लगाया गया है, सी. बी. आई. के कार्यालय में दर्ज एक टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर आई. डी. 1 पर की गई थी। पीडब्लू3-मधुबाला की गवाही के अनुसार, दूसरा कैसेट एक्सबी पी-2 सीबीआई के कार्यालय में दर्ज बातचीत है। प्रतिलिपि धारा 161 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता के बयान के रूप में है। उक्त रिकॉर्डिंग एक्सबी। न्यायालय में खेले जाने पर पी2 सुनाई नहीं दे रहा था पीडब्लू3 मधु बाला के बयान के दौरान।उनके अनुरोध के अनुसार, इसे फिर से चलाया गया, तभी पी. डब्ल्यू. 3 प्रतिलेख से सुराग लेते हुए बातचीत के हिस्से की पहचान कर सका।बयान में रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से के बारे में, उसने कहा कि उसकी कार खराब हो गई और उसने लगभग रु। 15, 000/-, लेकिन वह आरोपी राजेश गुप्ता द्वारा बोली गई अन्य बातचीत को स्पष्ट रूप से एकत्र नहीं कर सकी, सिवाय इसके कि वह शाम 4 बजे अपीलार्थी से मिलने के लिए सहमत हो गई। शुद्ध निष्कर्ष यह है कि उक्त बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले के पैराग्राफ 48 में उचित रूप से देखा गया है।

11. अपीलार्थी के वकील के तर्क में तथ्य है कि प्रतिलिपि धारा 161 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता के बयान के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है क्योंकि यह अभियुक्त के साथ बातचीत थी और उसका अपना संस्करण नहीं हो सकता है।उसी समय, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से, प्रतिलेख के आकार में उक्त कथन 11.6.2001 का था, जबकि कथित घटना उससे 15 महीने पहले यानी 9.3.2000 पर हुई थी।अभियुक्त ने सी. बी. आई. के कार्यालय में

तैयार की गई बातचीत की प्रतिलिपि, यदि कोई हो, प्रदान करने के लिए विचारण न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन उक्त आवेदन की सुनवाई के समय, लोक अभियोजक ने 1.4.2002 पर न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया और कहा कि ऑडियो कैसेट एक्स. बी. से कोई प्रतिलिपि तैयार नहीं की गई थी। पी2, इसलिए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सका, और प्रतिलिपि की आपूर्ति के लिए उसके आवेदन का निपटारा लोक अभियोजक द्वारा बार में दिए गए बयान के आधार पर किया गया था।यदि प्रतिलिपि, यदि कोई हो, अभियोजन पक्ष के पास 11.6.2001 पर थी, तो न्यायालय के समक्ष उक्त बयान दिए जाने का कोई कारण नहीं था।इस प्रकार, उक्त प्रतिलेख, जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा अश्रव्य कैसेट एक्स. बी. को सुनने के दौरान संकेत लिया जाता है। न्यायालय में पी2 अत्यधिक संदिग्ध था, जिस पर, हमारे विचार में, भरोसा नहीं किया जा सकता है।यह देखना अनुचित नहीं है कि सी. बी. आई. के कार्यालय में शिकायतकर्ता और अपीलार्थी की बातचीत श्री अवस्थी की सहायता और सलाह पर दर्ज की गई थी और रिकॉर्डिंग के लिए पूरी व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी, लेकिन उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था।

12. ट्रैप के मामलों में रिकॉर्डिंग के साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता के मुद्दे पर, राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह 1985 (पूरक) एस. सी. सी. 611 के मामले में कानून अच्छी तरह से तय है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि टेप-रिकॉर्ड किया गया बयान सबूत में स्वीकार्य है यदि रिकॉर्ड बनाने वाले और उसकी आवाज को पहचानने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा स्पीकर की आवाज की पहचान की जाती है।यदि निर्माता आवाज को पहचानने में असमर्थ है, तो यह निर्धारित करने के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होगी कि उक्त आवाज कथित वक्ता की है या नहीं।टेप-रिकॉर्ड किए गए कथन की सटीकता को रिकॉर्ड बनाने वाले द्वारा संतोषजनक साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।टेप-रिकॉर्ड किए गए कथन के किसी भी हिस्से के साथ छेड़छाड़ या मिटाने की संभावना को पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए।विशेष वक्ता की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने योग्य होनी चाहिए और अन्य ध्वनियों या गड़बड़ी से नष्ट या विकृत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा, तैयार की गई प्रतिलिपि, साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि पूर्व-जाल रिकॉर्डिंग सी. बी. आई. के कार्यालय में की गई और एक्स. बी. के रूप में प्रस्तुत की गई। पी2 और पी. डब्ल्यू. 3 मधु बाला द्वारा अपने बयान में प्रतिलिपि के संकेत के साथ राम सिंह (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून की कसौटी के साथ गवाही नहीं दी गई है।रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि उक्त कैसेट सुनाई नहीं दे रहा है, पी. डब्ल्यू. 3-मधु बाला ने न्यायालय में कैसेट बजाते समय, रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से के बारे में प्रतिलिपि को देखते हुए कहा।एक बार जब प्रतिलिपि तैयार करने पर ही सवाल उठ जाता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तो उसी से सुराग नहीं लिया जा सकता है और अश्रव्य कैसेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।इसलिए, इस न्यायालय की राय में, सीबीआई के कार्यालय में मांग के लिए पूर्व-जाल रिकॉर्डिंग। 9.3.2000 पर P2 साबित नहीं हुआ है।

14. छाया गवाह पीडब्लू4-विरेंद्र प्रसाद शिकायतकर्ता और अपीलार्थी की बातचीत के समय सीबीआई कार्यालय में 9.3.2000 पर मौजूद थे।अपने न्यायालयी बयान में, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को प्रस्ताव दिया गया था और अपीलार्थी के कहने पर कोई मांग नहीं की गई थी।जबकि, इस गवाह की गवाही का विश्लेषण करते हुए, विचारण न्यायालय ने सही कहा है कि पीडब्लू 4 की गवाही से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी पैसे की मांग नहीं की गई थी।दूसरे छाया गवाह पीडब्लू 5 बी. एस. चौहान, जिन्होंने इस बात के बारे में सुना और सी. बी. आई. के कार्यालय में मौजूद थे, कहते हैं कि शिकायतकर्ता ने रुपये की पेशकश की थी। 50, 000/- लेकिन अपीलार्थी की ओर से मांग दिखाने वाली कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी।उन्होंने जाँच-इन-चीफ में कहा कि "आजाओ देख लेगा", लेकिन जिरह में, उनके द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से पैसे की कोई मांग नहीं की गई थी।उपरोक्त की उचित सराहना के बाद, यह स्पष्ट है कि बातचीत Exb। पी2 अश्रव्य है और सिद्ध नहीं है।कथित बातचीत जिसे प्रतिलिपि के आधार पर समझाने की कोशिश की गई थी, साक्ष्य में अस्वीकार्य है और वह भी शिकायतकर्ता की धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज बयान में।यह प्रतिलेख दिनांकित 11.6.2001 संदिग्ध है, विशेष रूप से इसे देखते हुए।

जब यह अभिलिखित किया गया था कि कोई प्रतिलेख उपलब्ध नहीं था, तब विचारण न्यायालय के आदेश की तारीख 1.4.2002 थी।इस प्रकार, अस्वीकार्य प्रतिलेख के संदर्भ में, कोई अनुमान या मांग की संभावना की प्रधानता भी स्थापित नहीं की जा सकती है।

15. चौथी मांग, जैसा कि आरोप लगाया गया है, जाल के समय अपीलार्थी के कार्यालय में 9.3.2000 पर थी।इस संबंध में शिकायतकर्ता को पीडब्लू 5 बी. एस. चौहान और महिला सिपाही बबीता कपूर के साथ जाने की सलाह दी गई थी।पीडब्लू 3 मधु बाला की गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पीडब्लू 5 बी. एस. चौहान और महिला कांस्टेबल बबीता कपूर उनके साथ कक्ष में नहीं गए थे, जो शुरू में उन्होंने कहा था कि उनकी अपनी इच्छा से था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद उन्हें अपने साथ नहीं जाने के लिए कहा अन्यथा आरोपी रिश्वत स्वीकार नहीं करेंगे।इसलिए, जाल के समय केवल शिकायतकर्ता ही आरोपी के कक्ष के अंदर गया था।वह माइक्रो-कैसेट रिकॉर्डर और एक क्रेडिट कार्ड टाइप ट्रांसमीटर के साथ कक्ष में गई, जिसका कान का टुकड़ा अभि. साक्षी 5 बी. एस. चौहान के पास था।शिकायतकर्ता की गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि उसने माइक्रो-कैसेट रिकॉर्डर शुरू करने के लिए छोड़ दिया, जो जाल के समय उसके पास था।इसलिए, 9.3.2000 पर ट्रैप के दौरान आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और क्रेडिट कार्ड ट्रांसमीटर में इसका प्रसारण भी संभव नहीं था।इसके अलावा न्यायालय ने सही पाया है कि ये दोनों उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पी1 और पी3 अश्रव्य थे जैसा कि पी. डब्ल्यू. 3 मधु बाला के बयान में ही स्वीकार किया गया था।

16. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, पीडब्लू3 मधु बाला (शिकायतकर्ता) की गवाही को छोड़कर, 7.3.2000 या 9.3.2000 पर मांग का कोई पुष्टिकारक प्रमाण नहीं है।कानून द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है

पन्ना दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979) 4 एस. सी. सी. 526 और अय्यासामी बनाम तमिलनाडु राज्य में इस न्यायालय के निर्णय (1992)1 एस. सी. सी. 304, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता की एकमात्र गवाही, जो इच्छुक गवाह है, पर स्वतंत्र साक्ष्य के साथ पुष्टि किए बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है।

17. पी. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत एक अपराध के लिए, अपराध साबित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग एक अनिवार्य शर्त है।केवल करेंसी नोटों की बरामदगी पी. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध नहीं हो सकती है, जब तक कि यह उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाता है कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है।अवैध संतुष्टि की स्वीकृति का प्रमाण केवल तभी हो सकता है जब मांग का प्रमाण हो।

18. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके द्वारा मांग को साबित किया जा सके।इस प्रकार, मांग को साबित करने के लिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अनुमानों और अनियमित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें कानूनी स्थिति की अनदेखी की गई है, जिसे मामले के तथ्यों पर कायम नहीं रखा जा सकता है।

19. मांग की स्वीकृति के मुद्दे पर लौटते हुए, यह बाहर नहीं है बलवंत हेमके के खिलाफ मीना (श्रीमती) के फैसले को संदर्भित करने के लिए स्थान

बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 21 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुद्रा नोटों की केवल बरामदगी और फेनॉल्फथेलिन परीक्षण का सकारात्मक परिणाम अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने के लिए मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है।आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।व्यक्ति या मेज के दराज से वसूली साबित करने या प्रमाणित मांग को आगे बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री के साथ आरोपी द्वारा मुद्रा नोटों की स्वीकृति के अभाव में, अपराध साबित नहीं किया जा सकता है।हाथ में मौजूद मामले में, मुद्रा नोट आगंतुकों की ओर डाक-पैड के नीचे मेज पर पाए गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुद्रा नोटों में फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगा हुआ था।पीडब्लू3-मधु बाला, पीडब्लू4-विरेंद्र प्रसाद और PW5-B.S चौहान की गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि जाली पक्ष द्वारा अपीलार्थी के कक्ष में पीडब्लू3-मधु बाला को फिर से फोन करने के बाद और उसके संकेत पर कि पैसा उस विशेष स्थान पर पड़ा हुआ था, मुद्रा नोटों की बरामदगी की गई थी।जब अपीलार्थियों के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, तो रंग गुलाबी नहीं हुआ।यह केवल आरोप लगाया जाता है कि उक्त मुद्रा नोट एक नोट-शीट में लिपटे हुए थे, जिस पर अपीलार्थी की उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकृति माना जाता है।उपरोक्त के अलावा, नोट शीट पेपर, जिसमें मुद्रा नोट लपेटा गया था, सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोने पर गुलाबी हो गया।साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद, यह देखा जाना चाहिए कि

सोडियम कार्बोनेट के घोल का सुरक्षित अभिग्रहण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।केवल नोट शीट, जिसमें पैसा लपेटा गया था, सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोने पर गुलाबी हो गया था, जिसके निशान सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पाए गए थे, अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से, जब फेनोल्फथेलिन पाउडर से भरे मुद्रा नोट मेज पर आगंतुक पक्ष की ओर पाए गए थे और उनकी मेज के व्यक्ति या दराज से बरामद नहीं किए गए थे और जिस घोल में अपीलार्थी के हाथ डुबोए गए थे, वह गुलाबी नहीं हुआ था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय में, इस तरह लाए गए साक्ष्य नहीं हैं।

अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की स्वीकृति को साबित करने के लिए ठोस और पर्याप्त।

20. उक्त मुद्दे पर**,** बी**.** जयराज में इस न्यायालय के निर्णय बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य **(2014) 13** एस**.** सी**.** सी**. 55** सी**.** एम**.** गिरीश बाबू बनाम

सी. बी. आई. (2009) 3 एस. सी. सी. 779 प्रासंगिक हैं, जिसके तहत इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वसूली मांग के प्रमाण का पालन करेगी।पी. सी. अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब मांग साबित हो जाए और धन स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए, इस तथ्य को जानते हुए कि उक्त धन रिश्वत के रूप में दिया गया है।अवैध संतुष्टि की मांग के प्रमाण के अभाव में और केवल मुद्रा नोटों को रखना या बरामद करना इस तरह के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 20 पी. सी. अधिनियम के तहत अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति उचित संदेह से परे साबित हो।हमारी सुविचारित राय में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, पीसी अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाते हुए, कानून में पूरी तरह से विकृत हैं।मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।संभावनाओं की प्रधानता का सिद्धांत, जैसा कि इस मामले में लागू किया गया है, टिकाऊ नहीं है और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को निर्धारित किया जा सकता है।

21. ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए समवर्ती निष्कर्ष, सही परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की उचित सराहना पर आधारित नहीं हैं।वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 7 और 13 (2) के तहत अपराध के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, वर्तमान मामले में, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष इस न्यायालय को इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने से मना नहीं कर सकते हैं, जहां दोषसिद्धि के निष्कर्ष केवल अनुमानों और साक्ष्य के अनियमित मूल्यांकन पर दर्ज किए गए हैं।न्यायालय का हमेशा न्यायिक विवेक का दायित्व होता है कि वह त्रुटियों को सुधारें जहां वे प्रकट हों।हमारी सुविचारित राय में, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय गंभीर दुर्बलताओं और स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त हैं।ट्रैप से पहले या ट्रैप के दौरान मांग का कोई प्रमाण नहीं है।अदालतों को अभियुक्त की अज्ञानता के मूल सिद्धांत को तब तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जब तक कि अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाते।इसलिए, हमारे विचार में,

अपीलार्थी की दोषसिद्धि साबित नहीं हुई है और मूल्यांकन अनुमानों और अनियमित मूल्यांकन पर आधारित है।

22. इस प्रकार, हम विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों को अपास्त करनाते हैं और अपीलार्थी को उसके खिलाफ आरोपों का दोषी नहीं मानते हैं। नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है।अपीलार्थी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)